UPSP010011572026

न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या–1, सहारनपुर।
उपस्थितः अभय कृष्ण तिवारी, ''उच्चतर न्यायिक सेवा''
लघुवाद निगरानी संख्या 19 सन् 2026

राजेश मधुवाल पुत्र प्रेम चन्द, निवासी मौहल्ला जाटव नगर, सहारनपुर।

.....निगरानीकर्ता/प्रतिवादी।

बनाम्

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी प्यारे लाल, निवासी मौहल्ला जाटव नगर, सहारनपुर।

.....प्रत्यर्थिनी/वादिनी।

निर्णय

1– निगरानीकर्ता/प्रतिवादी की ओर से अन्तर्गत धारा 25 लघुवाद अधिनियम, प्रस्तुत लघुवाद निगरानी लघुवाद मि0 वाद संख्या–78 सन 2025, श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम राजेश मधुवाल में पारित आदेश दिनॉकित 29.01.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर, द्वारा प्रत्यर्थिनी/वादिनी/डिक्रीदार के प्रार्थना पत्र 4ग अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया गया है।

2– लघुवाद निगरानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थिनी/वादिनी/डिक्रीदार के द्वारा निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया दुकान नंबर–12/525, स्थित मोहल्ला जाटव नगर, शहर, सहारनपुर की भवन स्वामिनी है। विपक्षी दुकान नंबर–255/525, में प्रार्थिया की ओर से बतौर किरायेदार काबिज चला आता था। प्रार्थिया ने दिनांक 20.12.2012 को विपक्षी को धारा 106 टी.पी. एक्ट के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद एडवोकेट की मार्फत नोटिस देकर, विपक्षी की किरायेदारी समाप्त कर दी थी। उस वक्त दुकान जेर किरायेदारी का नगर पालिका नंबर 12/525 था। नोटिस देने के उपरान्त तथा मदयून विपक्षी की किरायेदारी समाप्त करने के उपरान्त प्रार्थिया, विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त दुकान की बाबत लघुवाद संख्या 3 सन 2013 श्रीमति सुमित्रा देवी बनाम श्री राजेश मधुवाल वास्ते बेदखली व किराया दाखिल किया था। दुकान का नम्बर 12/525 था लेकिन दुर्भाग्य वश टाईप की गलती से वाद पत्र में दुकान का नम्बर 12/1525 दर्ज हो गया। उपरोक्त गलती सहवन ही टाईप के कारण हो गयी थी। लघुवाद दिनांक 31.10.2017 तत्कालीन लघुवाद न्यायाधीश श्री राजेन्द्र राम के यहाँ से डिक्री हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वाद पत्र की गलती के कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2017 में विवादित दुकान का नम्बर 12/1525 दर्ज हो गया था। जबकि वास्तविक नं0 12/525 है। तत्पश्चात् विपक्षी मदयून ने लघुवाद संख्या 03 सन् 2013 सुमित्रा देवी बनाम् राजेश मधुवाल में पारित निर्णय व ड़िक्री दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध लघुवाद निगरानी संख्या 27 सन 2017 राजेश मधुवाल

बनाम् श्रीमती सुमित्रा देवी दायर किया था दुर्भाग्यवश उक्त लघुवाद निगरानी अपर जिला जज कक्ष संख्या–5 सहारनपुर से दिनांक 07.09.2018 को स्वीकार हो गई थी। प्रार्थिया ने लघुवाद निगरानी संख्या 27 सन 2017 में पारित निर्णय व डिकी के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट संख्या 97–96 सन 2018 अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत पेश की थी, जो दिनांक 08.07.2024 ई0 को स्वीकार हुई। अतः प्रार्थिया ने उक्त डिक्री के निष्पादन हेतु वाद संख्या 11 सन 2024 श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम् राजेश मधुवाल पेश की थी जिसमें विपक्षी राजेश मधुवाल ने धारा 47 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आपत्तियां प्रकीर्ण वाद संख्या 38 सन 2025 राजेश मधुवाल बनाम् श्रीमती सुमित्रा पेश की और उसमें अन्य आपत्तियों के अलावा एक आपत्ति इस प्रभाव की उठाई कि डिक्री में दुकान का नम्बर 12/1525 दर्ज है जबकि दुकान का वास्तविक नम्बर 12/525 था और अब 12/525/1 है। दुकान का नम्बर 12/525 है नोटिस में भी 12/525 ही दर्ज था लेकिन टाईप की गलती के कारण वाद पत्र में 12/525 के बजाये 12/1525 दर्ज हो गया उपरोक्त गलती सहवन ही टाईप की गलती के कारण हुई है दुकान किरायेदारी में कौन सी थी और कौन सी दुकान के बारे में लघुवाद संख्या 3 सन 2013 चला है और किसमें राजेश मधुवाल किरायेदार था, इसका कोई वास्तविक विवाद पक्षकारान के मध्य नही है अतः लघुवाद संख्या 3 सन 2013 में दर्ज विवरण सम्पत्ति में एवं निर्णय दिनांक 31.10.2017 में एवं लघुवाद संख्या 3 सन 2013 में पारित हुई डिक्री में जहाँ जहाँ विवादित दुकान का नम्बर 12/1525 दर्ज हो गया है उसको कलमजद किया जाकर उसके स्थान पर दुकान 12/525 दर्ज होना न्यायहित में आवश्यक है ऐसा ना होने से प्रार्थिया की अपूर्णीय क्षति है और ऐसा होने से प्रतिवादी मदयून की भी कोई हानि नही है। प्रार्थना की गयी कि वाद पत्र लघुवाद संख्या 03 सन 2013 के अन्त में दर्ज विवरण सम्पत्ति एवं लघुवाद संख्या सन् 2013 में पारित निर्णय व डिक्री के ओपरेटिव हिस्से में जहाँ जहाँ दुकान संख्या 12/1525 दर्ज है, उसको कलमजद किया जाकर उसके स्थान पर दुकान नं0–12/525 दर्ज किया जाये तथा इस बाबत वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा निर्णय व डिक्री में स्वयं संशोधन करने की अनुकम्पा की जावे।

3– विपक्षी/मदूयन राजेश मधुवाल की ओर से आपत्ति कागज संख्या–16ग मय शपथ पत्र, प्रस्तुत करते हुए, कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरीत है। डिकीदार/प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र सरासर गलत, असत्य एवं निराधार कथनों से प्रस्तुत किया है, जो कदापि स्वीकार होने योग्य नहीं है। लघुवाद संख्या 3 सन 2013 सुमित्रा देवी बनाम् राजेश मधुवाल दिनांक 28.01.2013 में योजित किया गया था, जिसमें दिनांक 30.04.2013 को विपक्षी अपना उत्तर पत्र 18 में प्रस्तुत किया था, जिसके विशेष कथन के पैरा सख्या 1 विपक्षी ने प्रश्नगत सम्पत्ति के सही नगर पालिका नम्बर 12/525 का होना तहरीर किया था, इसके अतिरिक्त वाद में नगर पालिका असेसमेन्ट की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली पर दाखिल की गई है, जिसके बाद भी डिकीदार/प्रार्थिया ने दौरान विचारण वाद प्रश्नगत सम्पत्ति का नगर पालिका नम्बर वाद पत्र में जानबूझकर सही दर्ज नहीं कराया है, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त लघुवाद दिनांक 31.10. 2017 में निर्णित फरमााया गया, जो लगभग 4 वर्ष तक चला है, इस दौरान डिक्रीदार/प्रार्थिया ने कोई संशोधन वाद पत्र में जानबूझकर नहीं कराया है,

जिसके दृष्टिगत डिक्रीदार/प्रार्थिया का उपरोक्त प्रार्थना पत्र इस स्तर पर ना तो पोषणीय है और ना ही विचारणीय है ऐसी सूरत में डिक्रीदार/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र उपरोक्त सव्ययः निरस्त होने योग्य है। डिक्रीदार/प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र जिस तथाकथित धारा 151 व 152 व 153 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, कदापि पोषणीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि डिक्रीदार/प्रार्थिया ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा वाद पत्र में संशोधन चाहा है, जिसके लिये प्राविधान पहले से सी0पी0सी0 में दिये गये है, जो इस स्तर पर पोषणीय नहीं है, ऐसी सूरत में धारा 151 सी0पी0सी0 लागू नहीं है, इसके पश्चात धारा 151 व 152 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है यह न्यायालय के निर्णय, डिक्री एवं आदेशो के लेखन एवं गणित सम्बन्धी भूले एवं या किसी आकस्मिक मूल या लोप से उसमें हुई गलती या न्यायालय द्वारा स्वयं प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध किये जाने का अधिकार प्रदान करती है, जो प्रस्तुत वाद में लागू नहीं होती, क्यों कि लघुवाद की पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध था कि प्रश्नगत सम्पत्ति का नगर पालिका नम्बर 12/525 चला आता है और उसी के सम्बन्ध में नोटिस डिक्रीदार/प्रार्थिया ने दिया है, समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुये भी डिक्रीदार/प्रार्थिया द्वारा तत्समय संशोधन का अवसर प्राप्त होते हुये भी प्रश्नगत सम्पत्ति के नगर पालिका नम्बर को तत्समय संशोधन द्वारा सही ना कराया जाना न्यायालय के निर्णय डिक्री एवं आदेशों के लेखन एवं गणित सम्बन्धी भूले एवं या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलती का नहीं माना जा सका। इस स्तर पर निर्णय एवं डिक्री एवं लघुवाद वाद पत्र में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रस्तुत किया जाना सरासर गलत, निराधार है और डिक्रीदार/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र कदापि विश्वनीय नहीं है डिक्रीदार/प्रार्थिया का इस प्रकार का संशोधन कदापि इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य नहीं है और डिक्रीदार/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र उपरोक्त निरस्त होने योग्य है। लघुवाद संख्या 3 सन 2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री पर निगरानी न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तक से निर्णय एवं आदेश पारित हो चुके है, जिसके बाद वाद पत्र एवं मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में तथाकथित संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र कदापि पोष्णीव नहीं है। डिक्रीदार/प्रार्थिया ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रस्तुत किये जाने पूर्व विपक्षी द्वारा इजराये वाद की कार्यवाही में प्रस्तुत की गई आपत्तिया अन्तर्गत धारा 47 सी0पी0सी0 प्रकीर्ण वाद संख्या 35 सन 2025 राजेश मधुवाल बनाम सुमित्रा देवी को प्रस्तुत की गई है विपक्षी की उक्त आपत्तिया अन्तर्गत धारा 47 सी0पी0सी0 निरर्थक करने के उद्देश्य से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र डिक्रीदार/प्रार्थिया का कदापि पोषणीय नहीं है, जो सव्ययः निरस्त होने योग्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनाक 08.07.2024 को रिकाल किये जाने हेतु विपक्षी को प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन चला आ रहा है, जिसकी डिक्रीदार/प्रार्थिया को पूर्ण जानकारी चली आती है। उपरोक्तानुसार डिक्रीदार/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, उपरोक्त प्रार्थना पत्र को लगभग 12 वर्ष से अधिक समय के बाद देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया है, जबकि प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में कार्यवाही निरन्तर मान्य न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्याय तक निरन्तर चली आ रही है। डिक्रीदार/प्रार्थिया ने जानबूझकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की स्वयं अन्देखी करते हुये

कार्यवाही की है, अब इस स्तर पर डिक्रीदार/प्रार्थिया जानबूझकर की गई पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की अन्देखी करके प्रार्थना पत्र उपरोक्त से कोई लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी सूरत में डिक्रीदार/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

4— वादिया की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची—7ग से 6 प्रपत्र कागज संख्या—8ग लगायत 13ग प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांकित 31.10.2017, कार्बन प्रति बाबत टैक्स नगर निगम, नोटिस आदि दस्तावेज दाखिल किये गये है।

5— प्रतिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में आपत्ति के साथ संलग्न उपाबंध—1 हाई कोर्ट केस स्टेटस दाखिल किया गया है।

6— पक्षकारो को सुनकर विचारण न्यायालय/लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा प्रार्थना पत्र 4ग अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर आवेदिका एवं सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया गया कि वह प्रार्थना पत्र 4ग के आलोक मे यथासिद्ध संशोधन अन्दर 3 दिवस करना सुनिश्चित करे। जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता के द्वारा यह लघुवाद निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

7— निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आलोच्य आदेश विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय तात्विक अनियमितता से कार्य किया है। प्रत्यर्थिया/वादिनी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र 4 अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के द्वारा लघुवाद संख्या 03 सन 2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 में वर्णित विवरण सम्पत्ति का नगर पालिका नम्बर एवं वाद पत्र में वर्णित विवरण सम्पत्ति का नगर पालिका नम्बर में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो कानूनन ना तो पोषणीय था और ना ही विचारणीय था, विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये पत्रावली पर इस तथ्य की अनदेखी की है उक्त लघुवाद में पारित निर्णय एवं डिक्री पर निगरानी न्यायालय से एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आदेश पारित हो चुके है, इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री एवं वाद पत्र में संशोधन किया जाना ना विधि अनुसार किये जाने योग्य, ना ही ऐसा प्रार्थना पत्र पर विचारणीय करते हुये स्वीकार फरमाया जा सकता था। लघुवाद संख्या 3 सन 2013 सुमित्रा देवी बनाम राजेश मधुवाल दिनांक 28.01.2013 में योजित किया गया था, जिसमें दिनांक 30.04.2013 को निगरानीकर्ता/प्रतिवादी ने अपना उत्तर पत्र 18 ग प्रस्तुत किया था, जिसके विशेष कथन के पैरा संख्या 1 में निगरानीकर्ता/प्रतिवादी ने प्रश्नगत सम्पत्ति के सही नगर पालिका नम्बर 12/525 का होना तहरीर किया था इसके अतिरिक्त वाद में नगर पालिका असैसमैन्ट की सत्य प्रतिलिपि भी पत्रावली पर दाखिल की गई है, जिसके बाद भी प्रत्यार्थिया/वादिनी ने दौरान विचारण वाद प्रश्नगत सम्पत्ति का नगर पालिका नम्बर वाद पत्र मे जानबूझकर सही दर्ज नहीं कराया है, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त लघुवाद दिनांक 31.10.2017 में निर्णित फरमाया गया था, जो लगभग 4 वर्ष तक चला है, इस दौरान प्रत्यार्थिया/वादिनी ने कोई संशोधन वाद पत्र में जानबूझकर नहीं कराया है, जिसके दृष्टिगत प्रत्यार्थिया/वादिनी का प्रार्थना पत्र 4ए इस स्तर पर ना तो पोषणीय था और

ना ही विचारणीय था, जो निरस्त होने योग्य चला आता था, विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय पत्रावली पर उक्त तथ्यों की पूर्णतया अनदेखी करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया है। डिक्रीदार/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र जिस तथाकथित धारा 151 व 152 व 153 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, कदापि पोषणीय नहीं था, उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थिया/वादिनी ने प्रार्थना पत्र 4ए के द्वारा वादपत्र में संशोधन चाहा है, जिसके लिये प्राविधान पहले से प्राविधान आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दिये गये है, जो निर्णय एवं डिक्री पारित होने एवं उक्त उक्त निर्णय एवं डिक्री पर निगरानी न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के पश्चात इस स्तर पर कदापि पोषणीय नहीं था, ऐसी सूरत में धारा 151 सी0पी0सी0 लागू नहीं है, इसके पश्चात धारा 151 व 152 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वह न्यायालय के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के लेखन एवं गणित सम्बन्धी भूले एवं या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलती या न्यायालय द्वारा स्वयं प्रेरणा से या पक्षकारो में से किसी आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध किये जाने का अधिकार प्रदान करती है, जो प्रस्तुत वाद में लागू नहीं होती क्यों कि लघ ुवाद की पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध था कि प्रश्नगत सम्पत्ति का नगर पालिका नम्बर 12/525 चला आता है और उसी के सम्बन्ध में नोटिस प्रत्यर्थिया/वादिनी ने दिया है, समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुये भी प्रत्यर्थिया/वादिनी द्वारा तत्समय संशोधन का अवसर प्राप्त होते हुये भी प्रश्नगत सम्पत्ति के नगर पालिका नम्बर को तत्समय संशोधन द्वारा सही ना कराया जाना न्यायालय के निर्णय, डिक्री एवं आदेशो के लेखन एवं गणित सम्बन्धी भूले एवं या किसी आकस्मिक मूल या लोप से उसमें हुई गलती को नहीं माना जा सकता था प्रत्यर्थिया/वादनी का प्रार्थना पत्र 4ए कदापि विश्वश्नीय नहीं था, ना ही प्रत्यर्थिया/वादिनी का इस प्रकार का संशोधन इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य चला आता था। प्रत्यर्थिया/वादिनी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था, प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थिया/वादिनी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को लगभग 12 वर्ष से अधिक समय के बाद देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण प्रार्थना पत्र 4ए में नहीं दर्शाया है जबकि प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में कार्यवाही निरन्तर मान्य न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक निरन्तर चली आ रही है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थिया/वादिनी ने जानबूझकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की स्वयं अनदेखी करते हुये कार्यवाही की है और अब इस स्तर पर प्रत्यर्थिया/वादिनी जानबूझकर की गई पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करके प्रार्थना पत्र 4ए उपरोक्त से कोई लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी और प्रत्यर्थिया/वादिनी का प्रार्थना पत्र 4ए निरस्त होने योग्य था, विद्वान विचारण न्यायालय ने देरी से प्रस्तुत किये जाने का आधार दर्ज ना किये जाने पर भी प्रार्थना पत्र 4ए स्वीकर करते हुये विधिक तथ्यों की अनदेखी की है। विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश में यह लिखना कि बिन्दु सख्या 1 का पूर्ण विश्लेषण करते हुए उक्त वाद बिन्दु का निस्तारित किया था एवं सम्पत्ति की संख्या को स्पष्ट उल्लेखित भी किया गया था और कि नोटिस कागज संख्या 9ग से भी स्पष्ट है कि आवेदिका ने दुकान संख्या 12/525 के विषय में ही किरायेदार विपक्षी को नोटिस बेदखली निर्गत किया गया। उक्त नोटिस वर्ष 2013 से पूर्व का है एवं विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 31.10.2017 की है, इन सब

तथ्यों का प्रमाण सहित होते हुये भी बिना किसी देरी का आधार दर्शाये हुये प्रार्थना पत्र 4ए दिनांक 01.09.2025 को प्रस्तुत करना प्रत्यर्थिया/वादिनी की जानबूझकर लापरवाही को दर्शाता था जिस पर प्रत्यर्थिया/वादिनी को धारा 151 व 152 व 153 सी0पी0सी0 का लाभ कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता था, जिसके दृष्टिगत विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र 4ए को स्वीकार करके विधिक चूक की है। प्रत्यर्थिया/वादिनी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ए प्रस्तुत किये जाने पूर्व निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा इजराये वाद की कार्यवाही में प्रस्तुत की गई आपत्तियां अन्तर्गत धारा 47 सी0पी0सी0 प्रकीर्ण वाद संख्या 35 सन 2025 राजेश मधुवाल बनाम सुमित्रा देवी को प्रस्तुत की गई है, विपक्षी की उक्त आपत्तियां अन्तर्गत धारा 47 सी0पी0सी0 निरर्थक करने के उद्देश्य से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ए प्रत्यर्थिया/वादिनी का कदापि पोषणीय नहीं था उक्त तथ्य की विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 4ए का निस्तारण करते समय पूर्णतया अनदेखी की है और आलोच्य आदेश पारित किया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक दृष्टि से आलोच्य आदेश हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना की गयी है कि प्रस्तुत लघुवाद निगरानी सव्यय स्वीकार फरमायी जाकर आलोच्य आदेश दिनाकित 29.01.2026 जो न्यायालय जज लघुवाद सहारनपुर द्वारा लघुवाद प्रकीर्ण वाद संख्या 78 सन 2025 श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम राजेश मधुवाल में पारित किया गया को निरस्त फरमाया जाये। समर्थन में शपथपत्र 7ग एवं आलोच्य आदेश दिनांकित 29.01.2026 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

8— मैंने निगरानीकर्ता एवं प्रत्यर्थिया की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना, पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

9— आक्षेपित आदेश व प्रस्तुत निगरानी के परिशीलन से विदित है कि प्रश्नगत दुकान का नगर निगम में दर्ज संख्या 12/525 के स्थान पर 12/1525 वादपत्र, निर्णय व डिक्री में अंकित हो गया था। उक्त त्रुटि को संशोधन करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—151, 152 व 153 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान लघुवाद न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुये संशोधन करने हेतु आदेशित किया गया है। निगरानीकर्ता का यह अभिकथन है कि उक्त निर्णय व डिक्री के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय तक आदेश पारित हुये है और निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तरपत्र 18ग के विशेष कथन के पैरा—1 में सही नगर पालिका नम्बर 12/525 होना तहरीर किया था, इसके अतिरिक्त बाद में नगर पालिका एसेसमेन्ट की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की थी। लेकिन जानबूझकर प्रत्यर्थिया/वादिनी ने कोई संशोधन प्रार्थना पत्र नहीं दिया। अतः इस स्तर पर प्रार्थिया द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है।

10— दुकान का नम्बर या चौहद्दी देने वादपत्र या उत्तरपत्र में लिखने का उद्देश्य प्रश्नगत सम्पत्ति की पहचान के लिये होता है। यदि लिपिकीय त्रुटिवश प्रश्नगत सम्पत्ति का नम्बर गलत अंकित हो जाता है और उक्त सम्पत्ति पहचान योग्य है तो उससे मामलें के गुण—दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी/निगरानीकर्ता ने स्वयं उल्लिखित किया है कि वह अपने प्रतिवादपत्र में सही नम्बर दिया था, लेकिन वादी जानबूझकर सही नम्बर दर्ज नहीं कराया। इस प्रकार यह स्वीकृत है कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा भी यह तथ्य स्वीकार है कि प्रश्नगत मकान का सही नगर पालिका नम्बर 12/525 है। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत

सम्पत्ति के पहचान में कोई कठिनाई किसी पक्षकार को नहीं है। यह तथ्य कि वादी जानबूझकर संशोधन नहीं कराया, सही नहीं है, क्योंकि सही नम्बर अंकित न करने से उसे कोई विशिष्ट लाभ होना दर्शित नहीं है। यह तथ्य सत्य है कि निर्णय और डिक्री के सम्बन्ध में निगरानी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचार कर आदेश पारित किया गया है, परन्तु उक्त निगरानी या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में भी प्रश्नगत सम्पत्ति की पहचान के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान लघुवाद न्यायाधीश ने संशोधन आदेश पारित कर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

11— प्रस्तुत निगरानी संख्या—19/2026 राजेश मधुवाल बनाम श्रीमती सुमित्रा देवी खारिज की जाती है। निगरानी से सम्बन्धित लघुवाद मि0 वाद संख्या—78 सन 2025, श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम राजेश मधुवाल में पारित आदेश दिनॉकित 29.01.2026 पुष्ट किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तलबशुदा पत्रावली लघुवाद न्यायाधीश के कार्यालय को भेजी जाये। लघुवाद निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अभय कृष्ण तिवारी)
दिनॉक 22.05.2026 आई.डी.— यू0पी0 6199
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या—1, सहारनपुर।

प्रस्तुत निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके उद्घोषित किया गया।

(अभय कृष्ण तिवारी)
दिनॉक 22.05.2026 आई.डी.— यू0पी0 6199
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या—1, सहारनपुर।

Digitally signed by ABHAY KRISHNA TIWARI
Date: 2026.05.22 17:25:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court